1082

E-Mail

भगवान स्वरूप
आई0पी0एस0

मा0 न्यायालय प्रकरण/समयबद्ध
अ0शा0पत्र संख्याःदस–459–2014
पुलिस उपमहानिरीक्षक–स्थापना,
उ0प्र0।
दिनांकःइलाहाबादःअप्रैल 27, 2015

प्रिय, अनिल,

कृपया स्पेशल अपील डिफेक्टिव संख्या 782/2014 प्रमुख सचिव गृह, उ0प्र0 शासन, लखनऊ व अन्य बनाम राजकुमार सिंह में मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ द्वारा दिनांक 26.3.2015 को आदेश पारित किये गये हैं जिसके प्रभावी अंश निम्नवत हैं :–

"When we examined the instant case in the light of the aforesaid settled legal position, we have found that there is no dispute to the fact that the respondent is suffering from **"Colour Vision Partial Red Green Defective".** The Government Order dated 24.12.1959 says that **for all class of Police Services, a defective colour vision as tested on Ishihara's Plates will constitute a disqualification.** Therefore, in view of ***Jagjit Singh (supra)*** and ***Gursharan Singh (supra)***, the respondent has no right to seek parity of those persons, whose recruitment is illegal and de hors the rules. Therefore, we are of the considered view that the learned Single Judge, while passing the impugned order, erred in giving parity to those persons, whose recruitment are illegal and de hors the Rules. In the backdrop of the aforesaid facts, the impugned judgment cannot be sustained.

For the reasons aforesaid, the instant appeal is allowed. The judgment and order dated 11.8.2014 is set-aside and the writ petition No. 5967 (SS) of 2013 stands dismissed.

However, in view of the circular dated 19.12.2014, the appellants are directed to pass appropriate orders in the matter of reinstatement of medically unfit candidates, in accordance with law, expeditiously, say within a period of three months from today."

2. मा0 उच्च न्यायालय की मा0 डिवीजन बेंच द्वारा पारित उपर्युक्त आदेश दिनांकित 26.03.2015 से निम्नवत व्यवस्था स्थापित हुई है।

(1) जिन व्यक्तियों को नियम विरूद्ध एवं अविधिक तरीके से भर्ती किया गया है, उनके साथ समानता स्थापित करते हुए भर्ती का अधिकार नहीं है।

(2) मेडीकली अनफिट होने पर भी अविधिक (**Illegal**) तरीके से भर्ती व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही दिनांक 26.3.2015 से 03 माह अर्थात् दिनांक 25.6.2015 तक पूर्ण करते हुए यथोचित आदेश पारित किये जायें। इस सम्बन्ध में Colour Blind प्रकरणों में शासनादेश संख्या 5351–बी/वी–501–59 दिनांक 24.12.1959 के प्रावधान **"For all class of Police Services a defective colour vision as tested on Ishihara's plates should constitute a disqualification."** लागू होंगे।

(3) पत्रांक दस–459–2014 दिनांक 19.12.2014 जिसका उल्लेख मा0 डिवीजन बेंच के उक्त आदेश दिनांक 26.03.2015 में किया गया है, के दृष्टिगत मेडीकली अनफिट होने पर भी अविधिक (**Illegal**) तरीके से भर्ती व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुए यथोचित आदेश पारित किये जाने हेतु दिनांक 26.3.2015 से 03 माह का अर्थात् दिनांक 25.6.2015 तक का समय मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है। अतः भ्रामक/गलत आधार पर भर्ती कर्मियों के विरूद्ध प्रारम्भिक जांच तथा दोषी पाये जाने पर 14(1) की विभागीय कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करते हुए लिये गये निर्णय से पुलिस मुख्यालय को अवगत करायें। इस प्रकरण से सम्बन्धित कर्मी यदि आपके जनपद से स्थानान्तरित हो गया हो तो उसको पुनः अपने जनपद में सबद्ध करने हेतु प्रस्ताव पुलिस महानिदेशक के सहायक, उ0प्र0 लखनऊ को भेजते हुए उसकी एक प्रति पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद को भेजें तथा परिणाम/अद्यतन स्थिति से अवगत करायें। कृपया सुनिश्चित करें कि प्रारम्भिक जॉच तथा विभागीय कार्यवाही दिनांक 25.6.2015 से पूर्व हर हालत में समाप्त हो जाये।

3. दिनांक 19.12.2014 के पुलिस मुख्यालय के पत्र में स्पष्ट किया गया है कि *"वर्ष 2005--2006 की आरक्षी भर्ती के चिकित्सकीय रूप से अनफिट पाये गये कुछ अभ्यर्थियों द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय और मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों की भ्रामक व्याख्या करते हुए सेवायोजन प्राप्त किया गया है तथा आगे भी इस प्रकार का प्रयास किया जा सकता है। इस प्रकार मेडीकली अनफिट पाये गये अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 38199/2007 रविशंकर यादव बनाम राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध रिट याचिकाओं में पारित आदेश के अनुपालन में शासन द्वारा राज्य स्तरीय मेडीकल बोर्ड का गठन किया गया था। इस मेडीकल बोर्ड द्वारा विभिन्न रिट याचिकाओं के 100 अभ्यर्थियों का पुनः स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। मेडीकल बोर्ड द्वारा परीक्षित 100 अभ्यर्थियों की उपरोक्त सूची में आपके जनपद में तैनात इस कर्मी का नाम या तो सम्मिलित नहीं है अथवा पुनर्परीक्षण में यह मेडीकली अनफिट पाया गया है जिससे स्पष्ट है कि इस कर्मी के मेडीकली अनफिट होते हुए भी इसको आपके जनपद स्तर पर मा0 न्यायालयों के आदेशों की भ्रामक व्याख्या के आधार पर सेवायोजित किया गया है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना समीचीन है कि शासनादेश संख्या 5351–बी/वी–501–59 दिनांकित 24.12.1959 के प्रावधान "For all class of Police Services a defective colour vision as tested on Ishihara's plates should constitute a disqualification." के अनुसार ऐसे व्यक्ति को अर्हता पूर्ण नहीं करने के कारण पुलिस विभाग में आरक्षी पद पर **सेवायोजित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार भ्रामक व्याख्या के आधार पर उक्त सूची में सम्मिलित आपके जनपद में तैनात कर्मियों के विरूद्ध नियमानुसार प्रारम्भिक जॉच कराते हुए दोषी पाये जाने पर विभागीय कार्यवाही सम्पन्न की जाय। उपरोक्त कार्यवाही समयबद्ध रूप से पूर्ण करायें। क्योंकि यह प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय की अवमानना से सम्बन्धित है अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप प्रतिदिन अनुश्रवण कर इस समस्त कार्यवाही को अतिशीघ्र पूर्ण करायेंगे।**

इसके अतिरिक्त अपने कार्यालय के ऐसे कर्मी तथा अधिकारी जिनके द्वारा भ्रामक व्याख्या के आधार पर मेडीकली अनफिट होते हुए भी आपके जनपद स्तर पर इनको सेवा में लिया गया है, उनके विरूद्ध भी प्रारम्भिक जॉच कर दोषी पाये जाने पर विभागीय कार्यवाही कराकर अवगत कराने का कष्ट करें।"*

4. अतः पुलिस मुख्यालय के **पत्रांक दस–459–2014 दिनांक 19.12.2014 एवं मा0 उच्च न्यायालय की मा0 डिवीजन बेंच द्वारा पारित उपर्युक्त आदेश दिनांकित 26.03.2015 के अनुसार अपेक्षित कार्यवाही दिनांक 25.6.2015 तक अवश्य पूर्ण करा लें। इसके अतिरिक्त संलग्न प्रारूप में सूचना अभिलेख सहित पुलिस मुख्यालय को दिनांक 30.4.2015 तक अवश्य उपलब्ध करा दें तथा संलग्न चार्ट को भरकर ईमेल आईडी– anubhagadhikari10phq@gmail.com पर दिनांक 30.4.2015 तक अवश्य अनुभाग–दस पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।** यह पत्र तथा दिनांक 19.12.2014 का पत्र PHQ की Website - https://uppolice.gov.in पर भी Upload किया गया है। आवश्यकता होने पर वहॉ से प्राप्त कर लें।

5. प्रकरण मा0 न्यायालय से सम्बन्धित है। अतः इसे सर्वोच्च वरीयता प्रदान करें।

संलग्नकः प्रारूप।

भवदीय

(भगवान स्वरूप)

श्रीमती मंजिल सैनी,
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
जनपद मथुरा।

प्रतिलिपि पुलिस उपमहानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि आईटी सेल को इस आशय से कि यह पत्र मय संलग्नक व दिनांक 19.12.2014 के पत्र को PHQ Estt Matter में Upload करें।

प्रारूप

क. सं.	पीएनओ नं0	रि0आ0 का नाम	पिता का नाम	सेवामुक्त करने का दिनांक	सेवामुक्त करने का कारण	जनपद स्तरीय स्वास्थ्य परीक्षण की तिथि व विवरण	मण्डल स्तरीय स्वास्थ्य परीक्षण की तिथि व विवरण	मा0न्यायालय के आदेश से राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड द्वारा परीक्षण की तिथि व विवरण	पुनः सेवा में लेने की तिथि व जनपद/इकाई	वर्तमान नियुक्ति जनपद	PE प्रारम्भ करने का दिनांक	PE निर्णय का विवरण व दिनांक	14(1) आरोप पत्र का दिनांक	14(1) समाप्ति का दिनांक	कारण बताओ नोटिस का दिनांक	FINAL ORDER का दिनांक
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**
1		बृजेश कुमार यादव	श्री राजेन्द्र सिंह यादव		COLOUR BLIND				अनुपलब्ध/ 26वीं वाहिनी							
2		सरदार खॉं	श्री नाजिम खॉं		COLOUR BLIND				अनुपलब्ध/ 26वीं वाहिनी							
3		पवन कुमार सिंह	श्री हरिनारायण सिंह		COLOUR BLIND				अनुपलब्ध/ 26वीं वाहिनी							
4		सन्तोष कुमार यादव	श्री लालबिहारी यादव	10.9.2007	COLOUR BLIND				21.3.2013/ महराजगंज							
5		शेषनाथ यादव	श्री रामदवर यादव	10.9.2007	COLOUR BLIND				21.3.2013/ महराजगंज							
6		मो0 कलाम	श्री निशार अहमद		COLOUR BLIND				अनुपलब्ध/ महराजगंज							
7		रामभगत यादव	श्री रामचेत यादव	10.9.2007	COLOUR BLIND				21.3.2013/ महराजगंज							
8		विरेन्द्रम कुमार	श्री पीताम्बर यादव	10.9.2007	COLOUR BLIND			03.9.2009	05.11.2012/ महराजगंज							
9		अश्वनी कुमार	श्री कपूर सिंह	31.8.2007	COLOUR BLIND			03.9.2009	12.3.2014/ झांसी							
10		राघवेन्द्र सिंह	श्री रामदास	31.8.2007	COLOUR BLIND			03.9.2009	12.3.2014/ झांसी							

11		विजय कुमार	श्री रामकुमार	17.9.2007	COLOUR BLIND			05.9.2009	03.4.2014 / सुल्तानपुर							
12		राजेश कुमार	श्री हरिलाल	17.9.2007	COLOUR BLIND			05.9.2009	27.2.2014 / सुल्तानपुर							
13		यदुवीर सिंह	श्री संत सिंह	11.9.2007	COLOUR BLIND				12.6.2013 / मैनपुरी							
14		विजय प्रताप सिंह	श्री मेहरबान सिंह	22.8.2007	COLOUR BLIND				12.6.2013 / मैनपुरी							
15		सत्येन्द्र कुमार	श्री विशम्बर सिंह	11.9.2007	COLOUR BLIND				31.10.2013 / मैनपुरी							
16		रन्दौर सिंह	श्री बलवीर सिंह	16.8.2007	**KNOCK-KNEE**				31.10.2013 / मैनपुरी							
17		पवन कुमार	श्री लालाराम	10.8.2007	COLOUR BLIND				23.12.2013 / मथुरा							
18		विवेक कुमार	श्री शिशुपाल सिंह	10.8.2007	COLOUR BLIND				15.01.2014 / मथुरा							
19		भूप सिंह	श्री नबाव सिंह	23.8.2007	COLOUR BLIND				23.12.2013 / मथुरा							
20		धर्मेन्द्र कुमार	श्री जोरावर सिंह	10.8.2007	COLOUR BLIND				15.01.2014 / मथुरा							
21		ललित शर्मा	श्री प्रेम चन्द्र शर्मा	10.8.2007	**KNOCK-KNEE**				21.11.2013 / मथुरा							
22		धर्मवीर	श्री महाराज सिंह	09.8.2007	COLOUR BLIND			04.9.2009 व 05.9.2009	21.10.2013 / ललितपुर							
23		विनोद कुमार	श्री जवाहर सिंह	09.8.2007	COLOUR BLIND			04.9.2009 व 05.9.2009	21.10.2013 / ललितपुर							
24		अवधेश कुमार	श्री रमेश चन्द्र	09.8.2007	COLOUR BLIND			04.9.2009 व 05.9.2009	18.8.2013 / ललितपुर							
25		अजय कुमार मलिक	श्री लक्ष्मी सिंह मलिक	08.9.2007	**KNOCK-KNEE**			03.9.2009 व 04.9.2009	09.12.2013 / जालौन							

26		मो0 शुजात हुसेन	श्री इनायत हुसैन		COLOUR BLIND			03.9.2009 व 04.9.2009	19.10.2013 / जालौन							
27		दिलीप कुमार	श्री चुनकू प्रसाद		**KNOCK-KNEE**			03.9.2009 व 04.9.2009	19.10.2013 / जालौन							
28		विमलेश सिंह	श्री लक्ष्मण सिह यादव		**KNOCK-KNEE**			03.9.2009 व 04.9.2009	19.10.2013 / जालौन							
29		नितिन कुमार उपाध्याय	श्री दयाशंकर उपाध्याय		COLOUR BLIND			03.9.2009 व 04.9.2009	19.10.2013 / जालौन							
30		प्रमोद कुमार	श्री गिरधारी लाल कुशवाह		**KNOCK-KNEE**			03.9.2009 व 04.9.2009	19.10.2013 / जालौन							
31		महेन्द्र सिंह	श्री बाबूसिंह कुशवाह		**KNOCK-KNEE**			03.9.2009 व 04.9.2009	19.10.2013 / जालौन							
32		रामकेश	श्री प्रयाग नारायण	07.8.2007	COLOUR BLIND				05.5.2014 / बॉदा							
33		मो0 तालिब	श्री मो0 सईद	12.8.2007	COLOUR BLIND				27.8.2012 / कन्नौज							
34		दिनेश कुमार	श्री बंशीधर	12.9.2007	COLOUR BLIND				28.3.2013 / अम्बेडकरनगर							
35		उमेश चन्द्र	श्री फौरन सिंह	11.4.2007	COLOUR BLIND				04.7.2013 / अलीगढ़							
36		अशोक कुमार यादव	श्री रामाज्ञा यादव	31.8.2007	COLOUR BLIND				08.2.2013 / बहराइच							

" वर्ष 2005-06 आरक्षी ना०पु० | सिविल भर्ती प्रकरण "

उच्च न्यायालय अवमानना प्रकरण/शीर्ष वरियता/तत्काल

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद – ।

संख्याःदस–459–2014 दिनांकःदिसम्बर 19, 2014

सेवा में,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक

मथुरा।

विषय : रिट याचिका संख्या 5967(एस/एस)/2013 राजकुमार सिंह बनाम राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.8.2014 के अनुपालन हेतु दाखिल अवमानना वाद संख्या 2264/2014 राजकुमार सिंह बनाम श्री देबाशीष पण्डा, प्रमुख सचिव गृह उ0प्र0 शासन, लखनऊ व अन्य के सम्बन्ध में।

कृपया रिट याचिका संख्या 5967(एस/एस)/2013 राजकुमार सिंह बनाम राज्य व अन्य में मा0उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ के आदेश दिनांक 11.8.2014 के अनुपालनार्थ अवमानना वाद संख्या 2264/2014 राजकुमार सिंह बनाम श्री देबाशीष पण्डा, प्रमुख सचिव, गृह उ0प्र0 शासन, लखनऊ में दायर किया गया है जो **दिनांक 22.12.2014 को सुनवाई हेतु सूचीबद्ध है।**

2. प्रश्नगत रिट याचिका में याची द्वारा उसी के समान रूप से मेडीकली अनफिट किये गये अन्य अभ्यर्थियों को विभिन्न जनपदों/इकाईयों में पुनः सेवा में वापस बहाल किये जाने का उल्लेख करते हुए स्वयं को भी मेडीकली अनफिट होते हुए भी सेवा में बहाल किये जाने की मॉग की गयी है। उपरोक्त रिट याचिका एवं अवमानना याचिका में संलग्न सूचियों के अनुसार कुल 37 ऐसे अभ्यर्थियों के नाम याची द्वारा दिये गये हैं जो मेडीकली अनफिट होने के बाद सेवा में बहाल किये गये हैं। इनकी सूची संलग्न है।

3. उपरोक्त सूची में आपके जनपद/इकाई में नियुक्त पवन कुमार के सम्बन्ध में याची द्वारा यह दावा किया गया है कि वह मेडीकली अनफिट होते हुए भी आपके जनपद/इकाई स्तर पर सेवा में बहाल किया गया है।

4. इस सम्बन्ध में पूर्व में भी इस मुख्यालय के परिपत्र संख्या दस–51–2013(सरकुलर) दिनांक 28.2.2014 के द्वारा आपको विस्तृत रूप से अवगत कराते हुए बताया गया था कि वर्ष 2005–2006 की भर्ती के चिकित्सकीय रूप से अनफिट पाये गये कुछ अभ्यर्थियों द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय और मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों की भ्रामक व्याख्या करते हुए सेवायोजन प्राप्त किया गया है तथा आगे भी इस प्रकार का प्रयास किया जा सकता है। इस प्रकार मेडीकली अनफिट पाये गये अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 38199/2007 रविशंकर यादव बनाम राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध रिट याचिकाओं में पारित आदेश के अनुपालन में शासन द्वारा राज्य स्तरीय मेडीकल बोर्ड का गठन किया गया था। इस मेडीकल बोर्ड द्वारा विभिन्न रिट याचिकाओं के 100 अभ्यर्थियों का पुनः स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस राज्य स्तरीय मेडीकल बोर्ड द्वारा पुनःपरीक्षित किये गये 100 अभ्यर्थियों की सूची संलग्न है।

5. मेडीकल बोर्ड द्वारा परीक्षित 100 अभ्यर्थियों की उपरोक्त सूची में आपके जनपद में तैनात इस कर्मी का नाम या तो सम्मिलित नहीं है अथवा पुनर्परीक्षण में यह मेडीकली अनफिट पाया गया है जिससे स्पष्ट है कि इस कर्मी के मेडीकली अनफिट होते हुए भी इसको आपके जनपद/इकाई स्तर पर मा0 न्यायालयों के आदेशों की भ्रामक व्याख्या के आधार पर सेवायोजित किया गया है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना समीचीन है कि शासनादेश संख्या 5351–बी/वी–501–59 दिनांक 24.12.1959 के प्राविधान "For all class of Police Services a defective colour vision as tested on Ishihara's plates should constitute a disqualification." के अनुसार ऐसे व्यक्ति को अर्हता पूर्ण नहीं करने के कारण पुलिस विभाग में आरक्षी पद पर सेवायोजित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार भ्रामक व्याख्या के आधार पर उक्त सूची में सम्मिलित आपके जनपद/इकाई में तैनात कर्मियों के विरुद्ध नियमानुसार प्रारम्भिक जॉच कराते हुए दोषी पाये जाने पर विभागीय कार्यवाही सम्पन्न की जाय। उपरोक्त कार्यवाही समयबद्ध रूप से पूर्ण करायें। क्योंकि यह प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय की अवमानना से सम्बन्धित है अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप इसका प्रतिदिन अनुश्रवण कर इस समस्त कार्यवाही को अतिशीघ्र पूर्ण करायेंगे।

6. इसके अतिरिक्त अपने कार्यालय के ऐसे कर्मी तथा अधिकारी जिनके द्वारा भ्रामक व्याख्या के आधार पर मेडीकली अनफिट होते हुए भी आपके जनपद/इकाई स्तर पर इनको सेवा में लिया गया है, उनके विरुद्ध भी प्रारम्भिक जॉच कर दोषी पाये जाने पर विभागीय कार्यवाही कराकर अवगत कराने का कष्ट करें।

7. प्रश्नगत अवमानना प्रकरण दिनांक 22.12.2014 को सुनवाई में लगा है। अतः सभी कार्यवाही सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर की जाय।

संलग्नकःयथोपरि।

19/12

पुलिस उपमहानिरीक्षक–स्थापना

उ0प्र0।

प्रतिलिपि कृपया निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. पुलिस महानिरीक्षक–स्थापना, उ0प्र0, लखनऊ।
2. पुलिस उपमहानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र, आगरा।

" वर्ष 2005-06 आरक्षी ना०पु०/पीएसी भर्ती प्रकरण "

<u>उच्च न्यायालय अवमानना प्रकरण / शीर्ष वरियता / तत्काल</u>

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद – 1

संख्याःदस–459–2014 दिनांकःदिसम्बर 11, 2014

सेवा में,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
<u>मथुरा।</u>

विषय : रिट याचिका संख्या 5967(एस/एस)/2013 राजकुमार सिंह बनाम राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.8.2014 के अनुपालन हेतु दाखिल अवमानना वाद संख्या 2264/2014 राजकुमार सिंह बनाम श्री देबाशीष पण्डा, प्रमुख सचिव गृह उ0प्र0 शासन, लखनऊ व अन्य के सम्बन्ध में।

कृपया रिट याचिका संख्या 5967(एस/एस)/2013 राजकुमार सिंह बनाम राज्य व अन्य में मा0उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ के आदेश दिनांक 11.8.2014 के अनुपालनार्थ अवमानना वाद संख्या 2264/2014 राजकुमार सिंह बनाम श्री देबाशीष पण्डा, प्रमुख सचिव, गृह उ0प्र0 शासन, लखनऊ में दायर किया गया है जो **दिनांक 22.12.2014 को सुनवाई हेतु सूचीबद्ध है।**

2. प्रश्नगत रिट याचिका में याची द्वारा उसी के समान रूप से मेडीकली अनफिट किये गये अन्य अभ्यर्थियों को विभिन्न जनपदों/इकाईयों में पुनः सेवा में वापस बहाल किये जाने का उल्लेख करते हुए स्वयं को भी मेडीकली अनफिट होते हुए भी सेवा में बहाल किये जाने की माँग की गयी है। उपरोक्त रिट याचिका एवं अवमानना याचिका में संलग्न सूचियों के अनुसार कुल 37 ऐसे अभ्यर्थियों के नाम याची द्वारा दिये गये हैं जो मेडीकली अनफिट होने के बाद सेवा में बहाल किये गये हैं। इनकी सूची संलग्न है।

3. उपरोक्त सूची में आपके जनपद/इकाई में नियुक्त विवेक कुमार के सम्बन्ध में याची द्वारा यह दावा किया गया है कि वह मेडीकली अनफिट होते हुए भी आपके जनपद/इकाई स्तर पर सेवा में बहाल किया गया है।

4. इस सम्बन्ध में पूर्व में भी इस मुख्यालय के परिपत्र संख्या दस–51–2013(सरकुलर) दिनांक 28.2.
2014 के द्वारा आपको विस्तृत रूप से अवगत कराते हुए बताया गया था कि वर्ष 2005–2006 की भर्ती के
चिकित्सकीय रूप से अनफिट पाये गये कुछ अभ्यर्थियों द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय और मा0 उच्च
न्यायालय के आदेशों की भ्रामक व्याख्या करते हुए सेवायोजन प्राप्त किया गया है तथा आगे भी इस प्रकार
का प्रयास किया जा सकता है। इस प्रकार मेडीकली अनफिट पाये गये अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में मा0 उच्च
न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 38199/2007 रविशंकर यादव बनाम राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध रिट
याचिकाओं में पारित आदेश के अनुपालन में शासन द्वारा राज्य स्तरीय मेडीकल बोर्ड का गठन किया गया
था। इस मेडीकल बोर्ड द्वारा विभिन्न रिट याचिकाओं के 100 अभ्यर्थियों का पुनः स्वास्थ्य परीक्षण किया गया।
इस राज्य स्तरीय मेडीकल बोर्ड द्वारा पुनःपरीक्षित किये गये 100 अभ्यर्थियों की सूची संलग्न है।

5. मेडीकल बोर्ड द्वारा परीक्षित 100 अभ्यर्थियों की उपरोक्त सूची में आपके जनपद में तैनात इस कर्मी
का नाम या तो सम्मिलित नहीं है अथवा पुनर्परीक्षण में यह मेडीकली अनफिट पाया गया है जिससे स्पष्ट है
कि इस कर्मी के मेडीकली अनफिट होते हुए भी इसको आपके जनपद/इकाई स्तर पर मा0 न्यायालयों के
आदेशों की भ्रामक व्याख्या के आधार पर सेवायोजित किया गया है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना समीचीन
है कि शासनादेश संख्या 5351–बी/वी–501–59 दिनांक 24.12.1959 के प्रावधान "For all class of Police
Services a defective colour vision as tested on Ishihara's plates should constitute a
disqualification." के अनुसार ऐसे व्यक्ति को अर्हता पूर्ण नहीं करने के कारण पुलिस विभाग में आरक्षी पद
पर सेवायोजित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार भ्रामक व्याख्या के आधार पर उक्त सूची में सम्मिलित
आपके जनपद/इकाई में तैनात कर्मियों के विरूद्ध नियमानुसार प्रारम्भिक जॉच कराते हुए दोषी पाये जाने पर
विभागीय कार्यवाही सम्पन्न की जाय। उपरोक्त कार्यवाही समयबद्ध रूप से पूर्ण करायें। क्योंकि यह प्रकरण मा0 उच्च
न्यायालय की अवमानना से सम्बन्धित है अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप इसका प्रतिदिन अनुश्रवण कर इस
समस्त कार्यवाही को अतिशीघ्र पूर्ण करायेंगे।

6. इसके अतिरिक्त अपने कार्यालय के ऐसे कर्मी तथा अधिकारी जिनके द्वारा भ्रामक व्याख्या के आधार
पर मेडीकली अनफिट होते हुए भी आपके जनपद/इकाई स्तर पर इनको सेवा में लिया गया है, उनके
विरूद्ध भी प्रारम्भिक जॉच कर दोषी पाये जाने पर विभागीय कार्यवाही कराकर अवगत कराने का कष्ट करें।

7. प्रश्नगत अवमानना प्रकरण दिनांक 22.12.2014 को सुनवाई में लगा है। अतः सभी कार्यवाही सर्वोच्च
प्राथमिकता के आधार पर की जाय।

संलग्नकःयथोपरि।

(हस्ताक्षर) 11/12
पुलिस उपमहानिरीक्षक–स्थापना
उ0प्र0।

प्रतिलिपि कृपया निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. पुलिस महानिरीक्षक–स्थापना, उ0प्र0, लखनऊ।
2. पुलिस उपमहानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र, आगरा।

" वर्ष २००५-०६ आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती प्रकरण "

उच्च न्यायालय अवमानना प्रकरण / शीर्ष वरियता / तत्काल

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद — ।

संख्याःदस–459–2014 दिनांकःदिसम्बर 19 2014

सेवा में,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक

मथुरा।

विषय : रिट याचिका संख्या 5967(एस / एस) / 2013 राजकुमार सिंह बनाम राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.8.2014 के अनुपालन हेतु दाखिल अवमानना वाद संख्या 2264 / 2014 राजकुमार सिंह बनाम श्री देबाशीष पण्डा, प्रमुख सचिव गृह उ0प्र0 शासन, लखनऊ व अन्य के सम्बन्ध में।

—

कृपया रिट याचिका संख्या 5967(एस / एस) / 2013 राजकुमार सिंह बनाम राज्य व अन्य में मा0उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ के आदेश दिनांक 11.8.2014 के अनुपालनार्थ अवमानना वाद संख्या 2264 / 2014 राजकुमार सिंह बनाम श्री देबाशीष पण्डा, प्रमुख सचिव, गृह उ0प्र0 शासन, लखनऊ में दायर किया गया है जो **दिनांक 22.12.2014 को सुनवाई हेतु सूचीबद्ध है।**

2. प्रश्नगत रिट याचिका में याची द्वारा उसी के समान रूप से मेडीकली अनफिट किये गये अन्य अभ्यर्थियों को विभिन्न जनपदों / इकाईयों में पुनः सेवा में वापस बहाल किये जाने का उल्लेख करते हुए स्वयं को भी मेडीकली अनफिट होते हुए भी सेवा में बहाल किये जाने की माँग की गयी है। उपरोक्त रिट याचिका एवं अवमानना याचिका में संलग्न सूचियों के अनुसार कुल 37 ऐसे अभ्यर्थियों के नाम याची द्वारा दिये गये हैं जो मेडीकली अनफिट होने के बाद सेवा में बहाल किये गये हैं। इनकी सूची संलग्न है।

3. उपरोक्त सूची में आपके जनपद / इकाई में नियुक्त **भूप सिंह** के सम्बन्ध में याची द्वारा यह दावा किया गया है कि वह मेडीकली अनफिट होते हुए भी आपके जनपद / इकाई स्तर पर सेवा में बहाल किया गया है।

4. इस सम्बन्ध में पूर्व में भी इस मुख्यालय के परिपत्र संख्या दस–51–2013(सरकुलर) दिनांक 28.2.2014 के द्वारा आपको विस्तृत रूप से अवगत कराते हुए बताया गया था कि वर्ष 2005–2006 की भर्ती के चिकित्सकीय रूप से अनफिट पाये गये कुछ अभ्यर्थियों द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय और मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों की भ्रामक व्याख्या करते हुए सेवायोजन प्राप्त किया गया है तथा आगे भी इस प्रकार का प्रयास किया जा सकता है। इस प्रकार मेडीकली अनफिट पाये गये अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 38199 / 2007 रविशंकर यादव बनाम राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध रिट याचिकाओं में पारित आदेश के अनुपालन में शासन द्वारा राज्य स्तरीय मेडीकल बोर्ड का गठन किया गया था। इस मेडीकल बोर्ड द्वारा विभिन्न रिट याचिकाओं के 100 अभ्यर्थियों का पुनः स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस राज्य स्तरीय मेडीकल बोर्ड द्वारा पुनःपरीक्षित किये गये 100 अभ्यर्थियों की सूची संलग्न है।

5. मेडीकल बोर्ड द्वारा परीक्षित 100 अभ्यर्थियों की उपरोक्त सूची में आपके जनपद में तैनात इस कर्मी का नाम या तो सम्मिलित नहीं है अथवा पुनर्परीक्षण में यह मेडीकली अनफिट पाया गया है जिससे स्पष्ट है कि इस कर्मी के मेडीकली अनफिट होते हुए भी इसको आपके जनपद / इकाई स्तर पर मा0 न्यायालयों के आदेशों की भ्रामक व्याख्या के आधार पर सेवायोजित किया गया है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना समीचीन है कि शासनादेश संख्या 5351–बी / वी–501–59 दिनांक 24.12.1959 के प्राविधान "For all class of Police Services a defective colour vision as tested on Ishihara's plates should constitute a disqualification." के अनुसार ऐसे व्यक्ति को अर्हता पूर्ण नहीं करने के कारण पुलिस विभाग में आरक्षी पद पर सेवायोजित नहीं किया जा सकता है। **इस प्रकार भ्रामक व्याख्या के आधार पर उक्त सूची में सम्मिलित आपके जनपद / इकाई में तैनात कर्मियों के विरुद्ध नियमानुसार प्रारम्भिक जॉच कराते हुए दोषी पाये जाने पर विभागीय कार्यवाही सम्पन्न की जाय।** उपरोक्त कार्यवाही समयबद्ध रूप से पूर्ण करायें। **क्योंकि यह प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय की अवमानना से सम्बन्धित है अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप इसका प्रतिदिन अनुश्रवण कर इस समस्त कार्यवाही को अतिशीघ्र पूर्ण करायेंगे।**

6. इसके अतिरिक्त अपने कार्यालय के ऐसे कर्मी तथा अधिकारी जिनके द्वारा भ्रामक व्याख्या के आधार पर मेडीकली अनफिट होते हुए भी आपके जनपद / इकाई स्तर पर इनको सेवा में लिया गया है, उनके विरुद्ध भी प्रारम्भिक जॉच कर दोषी पाये जाने पर विभागीय कार्यवाही कराकर अवगत कराने का कष्ट करें।

7. प्रश्नगत अवमानना प्रकरण दिनांक 22.12.2014 को सुनवाई में लगा है। अतः सभी कार्यवाही सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर की जाय।

संलग्नकःयथोपरि।

पुलिस उपमहानिरीक्षक–स्थापना

उ0प्र0।

प्रतिलिपि कृपया निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. पुलिस महानिरीक्षक–स्थापना, उ0प्र0, लखनऊ।
2. पुलिस उपमहानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र, आगरा।

॥वर्ष 2005-06 आरक्षी ना०पु०/पीएसी भर्ती प्रकरण॥

उच्च न्यायालय अवमानना प्रकरण/शीर्ष वरियता/तत्काल

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद – ।

संख्याःदस–459–2014 दिनांकःदिसम्बर 19, 2014

सेवा में,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक

मथुरा।

विषय : रिट याचिका संख्या 5967(एस/एस)/2013 राजकुमार सिंह बनाम राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.8.2014 के अनुपालन हेतु दाखिल अवमानना वाद संख्या 2264/2014 राजकुमार सिंह बनाम श्री देवाशीष पण्डा, प्रमुख सचिव गृह उ0प्र0 शासन, लखनऊ व अन्य के सम्बन्ध में।

कृपया रिट याचिका संख्या 5967(एस/एस)/2013 राजकुमार सिंह बनाम राज्य व अन्य में मा0उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ के आदेश दिनांक 11.8.2014 के अनुपालनार्थ अवमानना वाद संख्या 2264/2014 राजकुमार सिंह बनाम श्री देवाशीष पण्डा, प्रमुख सचिव, गृह उ0प्र0 शासन, लखनऊ में दायर किया गया है जो **दिनांक 22.12.2014 को सुनवाई हेतु सूचीबद्ध है।**

2. प्रश्नगत रिट याचिका में याची द्वारा उसी के समान रूप से मेडीकली अनफिट किये गये अन्य अभ्यर्थियों को विभिन्न जनपदों/इकाईयों में पुनः सेवा में वापस बहाल किये जाने का उल्लेख करते हुए स्वयं को भी मेडीकली अनफिट होते हुए भी सेवा में बहाल किये जाने की माँग की गयी है। उपरोक्त रिट याचिका एवं अवमानना याचिका में संलग्न सूचियों के अनुसार कुल 37 ऐसे अभ्यर्थियों के नाम याची द्वारा दिये गये हैं जो मेडीकली अनफिट होने के बाद सेवा में बहाल किये गये हैं। इनकी सूची संलग्न है।

3. उपरोक्त सूची में आपके जनपद/इकाई में नियुक्त धर्मेन्द्र कुमार के सम्बन्ध में याची द्वारा यह दावा किया गया है कि वह मेडीकली अनफिट होते हुए भी आपके जनपद/इकाई स्तर पर सेवा में बहाल किया गया है।

4. इस सम्बन्ध में पूर्व में भी इस मुख्यालय के परिपत्र संख्या दस–51–2013(सरकुलर) दिनांक 28.2.2014 के द्वारा आपको विस्तृत रूप से अवगत कराते हुए बताया गया था कि वर्ष 2005–2006 की भर्ती के चिकित्सकीय रूप से अनफिट पाये गये कुछ अभ्यर्थियों द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय और मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों की भ्रामक व्याख्या करते हुए सेवायोजन प्राप्त किया गया है तथा आगे भी इस प्रकार का प्रयास किया जा सकता है। इस प्रकार मेडीकली अनफिट पाये गये अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 38199/2007 रविशंकर यादव बनाम राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध रिट याचिकाओं में पारित आदेश के अनुपालन में शासन द्वारा राज्य स्तरीय मेडीकल बोर्ड का गठन किया गया था। इस मेडीकल बोर्ड द्वारा विभिन्न रिट याचिकाओं के 100 अभ्यर्थियों का पुनः स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस राज्य स्तरीय मेडीकल बोर्ड द्वारा पुनःपरीक्षित किये गये 100 अभ्यर्थियों की सूची संलग्न है।

5. मेडीकल बोर्ड द्वारा परीक्षित 100 अभ्यर्थियों की उपरोक्त सूची में आपके जनपद में तैनात इस कर्मी का नाम या तो सम्मिलित नहीं है अथवा पुनर्परीक्षण में यह मेडीकली अनफिट पाया गया है जिससे स्पष्ट है कि इस कर्मी के मेडीकली अनफिट होते हुए भी इसको आपके जनपद/इकाई स्तर पर मा0 न्यायालयों के आदेशों की भ्रामक व्याख्या के आधार पर सेवायोजित किया गया है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना समीचीन है कि शासनादेश संख्या 5351–बी/वी–501–59 दिनांक 24.12.1959 के प्राविधान "For all class of Police Services a defective colour vision as tested on Ishihara's plates should constitute a disqualification." के अनुसार ऐसे व्यक्ति को अर्हता पूर्ण नहीं करने के कारण पुलिस विभाग में आरक्षी पद पर सेवायोजित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार भ्रामक व्याख्या के आधार पर उक्त सूची में सम्मिलित आपके जनपद/इकाई में तैनात कर्मियों के विरुद्ध नियमानुसार प्रारम्भिक जाँच कराते हुए दोषी पाये जाने पर विभागीय कार्यवाही सम्पन्न की जाय। उपरोक्त कार्यवाही समयबद्ध रूप से पूर्ण करायें। क्योंकि यह प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय की अवमानना से सम्बन्धित है अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप इसका प्रतिदिन अनुश्रवण कर इस समस्त कार्यवाही को अतिशीघ्र पूर्ण करायेंगे।

6. इसके अतिरिक्त अपने कार्यालय के ऐसे कर्मी तथा अधिकारी जिनके द्वारा भ्रामक व्याख्या के आधार पर मेडीकली अनफिट होते हुए भी आपके जनपद/इकाई स्तर पर इनको सेवा में लिया गया है, उनके विरुद्ध भी प्रारम्भिक जाँच कर दोषी पाये जाने पर विभागीय कार्यवाही कराकर अवगत कराने का कष्ट करें।

7. प्रश्नगत अवमानना प्रकरण दिनांक 22.12.2014 को सुनवाई में लगा है। अतः सभी कार्यवाही सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर की जाय।

संलग्नकःयथोपरि।

पुलिस उपमहानिरीक्षक–स्थापना

उ0प्र0।

प्रतिलिपि कृपया निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. पुलिस महानिरीक्षक–स्थापना, उ0प्र0, लखनऊ।
2. पुलिस उपमहानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र, आगरा।

" वर्ष 2005-06 आरक्षी नागरिक पुलिस पीएसी भर्ती प्रकरण "

उच्च न्यायालय अवमानना प्रकरण/शीर्ष वरियता/तत्काल

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद - ।

संख्याःदस--459--2014 दिनांकःदिसम्बर 19, 2014

सेवा में,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक

मथुरा।

विषय : रिट याचिका संख्या 5967(एस/एस)/2013 राजकुमार सिंह बनाम राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.8.2014 के अनुपालन हेतु दाखिल अवमानना वाद संख्या 2264/2014 राजकुमार सिंह बनाम श्री देबाशीष पण्डा, प्रमुख सचिव गृह उ0प्र0 शासन, लखनऊ व अन्य के सम्बन्ध में।

कृपया रिट याचिका संख्या 5967(एस/एस)/2013 राजकुमार सिंह बनाम राज्य व अन्य में मा0उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ के आदेश दिनांक 11.8.2014 के अनुपालनार्थ अवमानना वाद संख्या 2264/2014 राजकुमार सिंह बनाम श्री देबाशीष पण्डा, प्रमुख सचिव, गृह उ0प्र0 शासन, लखनऊ में दायर किया गया है जो **दिनांक 22.12.2014 को सुनवाई हेतु सूचीबद्ध है।**

2. प्रश्नगत रिट याचिका में याची द्वारा उसी के समान रूप से मेडीकली अनफिट किये गये अन्य अभ्यर्थियों को विभिन्न जनपदों/इकाईयों में पुनः सेवा में वापस बहाल किये जाने का उल्लेख करते हुए स्वयं को भी मेडीकली अनफिट होते हुए भी सेवा में बहाल किये जाने की माँग की गयी है। उपरोक्त रिट याचिका एवं अवमानना याचिका में संलग्न सूचियों के अनुसार कुल 37 ऐसे अभ्यर्थियों के नाम याची द्वारा दिये गये हैं जो मेडीकली अनफिट होने के बाद सेवा में बहाल किये गये हैं। इनकी सूची संलग्न है।

3. उपरोक्त सूची में आपके जनपद/इकाई में नियुक्त **ललित शर्मा** के सम्बन्ध में याची द्वारा यह दावा किया गया है कि वह मेडीकली अनफिट होते हुए भी आपके जनपद/इकाई स्तर पर सेवा में बहाल किया गया है।

4. इस सम्बन्ध में पूर्व में भी इस मुख्यालय के परिपत्र संख्या दस-51-2013(सरकुलर) दिनांक 28.2.2014 के द्वारा आपको विस्तृत रूप से अवगत कराते हुए बताया गया था कि वर्ष 2005-2006 की भर्ती के चिकित्सकीय रूप से अनफिट पाये गये कुछ अभ्यर्थियों द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय और मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों की भ्रामक व्याख्या करते हुए सेवायोजन प्राप्त किया गया है तथा आगे भी इस प्रकार का प्रयास किया जा सकता है। इस प्रकार मेडीकली अनफिट पाये गये अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 38199/2007 रविशंकर यादव बनाम राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध रिट याचिकाओं में पारित आदेश के अनुपालन में शासन द्वारा राज्य स्तरीय मेडीकल बोर्ड का गठन किया गया था। इस मेडीकल बोर्ड द्वारा विभिन्न रिट याचिकाओं के 100 अभ्यर्थियों का पुनः स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस राज्य स्तरीय मेडीकल बोर्ड द्वारा पुनःपरीक्षित किये गये 100 अभ्यर्थियों की सूची संलग्न है।

5. मेडीकल बोर्ड द्वारा परीक्षित 100 अभ्यर्थियों की उपरोक्त सूची में आपके जनपद में तैनात इस कर्मी का नाम या तो सम्मिलित नहीं है अथवा पुनर्परीक्षण में यह मेडीकली अनफिट पाया गया है जिससे स्पष्ट है कि इस कर्मी के मेडीकली अनफिट होते हुए भी इसको आपके जनपद/इकाई स्तर पर मा0 न्यायालयों के आदेशों की भ्रामक व्याख्या के आधार पर सेवायोजित किया गया है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना समीचीन है कि शासनादेश संख्या 5351-बी/वी-501-59 दिनांक 24.12.1959 के प्रावधान "For all class of Police Services a defective colour vision as tested on Ishihara's plates should constitute a disqualification." के अनुसार ऐसे व्यक्ति को अर्हता पूर्ण नहीं करने के कारण पुलिस विभाग में आरक्षी पद पर सेवायोजित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार भ्रामक व्याख्या के आधार पर उक्त सूची में सम्मिलित आपके जनपद/इकाई में तैनात कर्मियों के विरूद्ध नियमानुसार प्रारम्भिक जॉच कराते हुए दोषी पाये जाने पर विभागीय कार्यवाही सम्पन्न की जाय। उपरोक्त कार्यवाही समयबद्ध रूप से पूर्ण करायें। क्योंकि यह प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय की अवमानना से सम्बन्धित है अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप इसका प्रतिदिन अनुश्रवण कर इस समस्त कार्यवाही को अतिशीघ्र पूर्ण करायेंगे।

6. इसके अतिरिक्त अपने कार्यालय के ऐसे कर्मी तथा अधिकारी जिनके द्वारा भ्रामक व्याख्या के आधार पर मेडीकली अनफिट होते हुए भी आपके जनपद/इकाई स्तर पर इनको सेवा में लिया गया है, उनके विरूद्ध भी प्रारम्भिक जॉच कर दोषी पाये जाने पर विभागीय कार्यवाही कराकर अवगत कराने का कष्ट करें।

7. प्रश्नगत अवमानना प्रकरण दिनांक 22.12.2014 को सुनवाई में लगा है। अतः सभी कार्यवाही सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर की जाय।

संलग्नकःयथोपरि।

पुलिस उपमहानिरीक्षक-स्थापना

उ0प्र0।

प्रतिलिपि कृपया निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. पुलिस महानिरीक्षक-स्थापना, उ0प्र0, लखनऊ।
2. पुलिस उपमहानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र, आगरा।